उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–1
संख्या– 2096/9–1–2020–17टी.ए./17
लखनऊ : दिनांक 23 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना
संशोधन/शुद्धिपत्र

जिला कौशाम्बी में नगर पंचायत दारानगर कड़ाधाम के गठन के संबंध में अंतिम अधिसूचना संख्या–2108/9–1–2019–17टी.ए/17, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 निर्गत किया गया है। जिलाधिकारी, कौशाम्बी के पत्र दिनांक 19 नवम्बर, 2020 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त नगर पंचायत के मानचित्र में कुल 11 ग्राम स्वातखत उर्फ कड़ा, चकचमरूपुर दारानगर, म्योहरा, शादीपुर हाफिजपुर, नासिरपुर फरीदगंज, फराहिमपुर कलेशर मऊ, रौजे शैफ खॉ, कमालपुर, बिहामिदपुर, सुल्तानपुर ख्वाजा कड़क का सम्पूर्ण भाग एवं सौंरई बुजुर्ग का आंशिक भाग सम्मिलित है, परन्तु नगर पंचायत, दारानगर कड़ाधाम के प्रादेशित क्षेत्र में मात्र 6 ग्रामों की सीमा के गाटे अधिसूचित हो सके हैं। ग्राम सुल्तानपुर ख्वाजा कड़क, ग्राम चकचमरूपुर, स्वातखत उर्फ कड़ा, ग्राम रौजे सैफ खॉ, ग्राम बिहामिदपुर के सीमावर्ती गाटे तकनीकी कारणों से अधिसूचित होने से रह गये हैं। सुल्तानपुर ख्वाजा कड़क, ग्राम चकचमरूपुर, स्वातखत उर्फ कड़ा, ग्राम रौजे सैफ खॉ, ग्राम बिहामिदपुर ग्राम नगर पंचायत की सीमा के अन्दर हैं, ऐसी स्थिति में इन राजस्व ग्रामों में ग्राम पंचायत चुनाव कराया जाना व्यावहारिक दृष्टि से उचित नहीं है। अतएव जिलाधिकारी, कौशाम्बी द्वारा सुल्तानपुर ख्वाजा कड़क, ग्राम चकचमरूपुर दारानगर, स्वातखत उर्फ कड़ा, ग्राम रौजे सैफ खॉ, ग्राम बिहामिदपुर सहित उपरिवर्णित छूट गये सीमावर्ती गाटों को नगर पंचायत, दारानगर–कड़ाधाम में अधिसूचित कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उपरोक्त के संबंध में उल्लेख करना है कि नगर पंचायत सृजन संबंधी शासनादेश संख्या–2979/9–1–2016–426 सा/14, दिनांक 06.10.2016 में निर्धारित मानक के प्रस्तर–3 के बिन्दु संख्या–10 के अनुसार नगर पंचायत दारानगर कड़ाधाम, जिला कौशाम्बी के गठन संबंधी अधिसूचना संख्या–2108/9–1–2019–17टी.ए/17, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 में नगर पंचायत के सीमावर्ती गाटा संख्याओं का उल्लेख किया गया है। सीमावर्ती गाटाओं के अन्दर में पड़ने वाले समस्त गावों/राजस्व ग्रामों को नगर पंचायत का भाग माना जायेगा।

इस प्रकार नगर पंचायत दारानगर कड़ाधाम के मानचित्र में प्रदर्शित 11 ग्राम स्वातखत उर्फ कड़ा, चकचमरूपुर दारानगर, म्योहरा, शादीपुर हाफिजपुर, नासिरपुर फरीदगंज, फराहिमपुर कलेशर मऊ, रौजे शैफ खॉ, कमालपुर, बिहामिदपुर, सुल्तानपुर ख्वाजा कड़क का सम्पूर्ण भाग एवं सौंरई बुजुर्ग का आंशिक भाग, नगर पंचायत दारानगर कड़ाधाम, जिला कौशाम्बी का भाग माना जायेगा।

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50–50प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव–</u>

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) आयुक्त प्रयागराज मण्डल प्रयागराज।

(2) जिलाधिकारी, कौशाम्बी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

(3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।

(5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।

(6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।

(7) निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
उप सचिव।